ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय)
चौथा तल, सेवा भवन, आर. के. पुरम, नई दिल्ली – 110066
वेबसाइट: www.beeindia.gov.in दूरभाष: 011-26766700

ऊर्जा सेवा कंपनियों (ईएससीओ) का पैनल/पुनः पैनलबद्ध करना

इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के साथ ऊर्जा सेवा कंपनी (ईएससीओ) के रूप में पैनल/पुनः पैनलबद्ध करने के लिए योग्य संगठनों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत देश में ऊर्जा दक्षता पहलों को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें ईएससीओ मॉडल के माध्यम से मौजूदा सुविधाओं में ऊर्जा संरक्षण उपायों को बढ़ावा देना शामिल है। ईएससीओ एक ऐसा संगठन है जो तकनीकी रूप से व्यवहार्य तरीके से ऊर्जा खपत और लागत को कम करने वाले उपायों को लागू करने के लिए क्लाइंट फर्म के साथ निष्पादन-आधारित अनुबंध में लगा हुआ है। बीईई पैनलबद्ध ऊर्जा सेवा कंपनियों की एक सूची तैयार करके रखना रखना चाहता है जिसकी वैधता अवधि दो साल की होगी।

बीईई के साथ ईएससीओ के रूप में पैनल/पुन: पैनलबद्ध होने के लिए, सभी ईएससीओ को ग्रेडिंग एजेंसियों क्रिसिल लिमिटेड/केयर एडवाइजरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग लिमिटेड/आईसीआरए एनालिटिक्स लिमिटेड/आईआरआर एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड/एसएमईआरए ग्रेडिंग एंड रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को पूर्ण आवेदन पत्र जमा करना होगा।

सेबी से मान्यता प्राप्त एजेंसियों के विज्ञापन और संपर्क–सूत्र और पैनल बनाने की प्रक्रिया www.beeindia.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। ग्रेडिंग प्रक्रिया के लिए आवेदन पत्र संबंधित ग्रेडिंग एजेंसियों से प्राप्त किया जा सकता है। **ग्रेडिंग एजेंसियों को पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के प्रकाशन के तीस दिनों के भीतर है।** अधूरे आवेदनों और निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा

सचिव

बेहतर जीवन के लिए ऊर्जा बचाएं।